न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 27/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– मनोहर पुत्र भारथा दर्जी 2– बागा पुत्र पुनमा जाट 3– सरूपा पुत्र हीरा जाट 4– मगा पुत्र हीरा जाट 5– जतनो पत्नी हीरा जाट 6– आसा पुत्र नगा दर्जी 7– भीखाराम पुत्र अनाराम जाट 8– चेनाराम पुत्र अनाराम जाट 9– भोमाराम पुत्र अनाराम जाट 10–रायमल पुत्र अनाराम जांट निवासी रामदेव नगर (मौखाब) तहसील शिव जिला बाडमेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिव जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 1–1–2017 जो उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 240/2017 अनवान तहसीलदार शिव बनाम आम खातेदारान वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री वी.एल.एस.राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12–11–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष तहसीलदार शिव ने उनके पत्रांक भूअ/2016/6656 दिनांक 27–12–16 के सलंग्न पटवार मण्डल मोखाब के राजस्व ग्राम रामेदव नगर के 11 खसरान कमशः खसरा नंबर 372, 445/372, 364, 363, 365, 356/547, 492/356, 496/361, 360, 362, 518/362 तथा राजस्व ग्राम मोखाब कंला के कुल 6 खसरान कमशः खसरा नंबर 376, 373, 431/375, 375, 413/329, 338, 339 पर चल रहे चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तो के राजस्व रिकार्ड मे गै.मु. रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/2017/240 दिनांक 1–1–2017 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि के खातेदारो को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार शिव ने उनके पत्रांक राजस्व/2017/240 दिनांक 1–1–2017 के द्वारा ग्राम रामदेव नगर एवं मोखाब कलां के खसरा नंबरान की भूमि पर चल रहे रास्तो के प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र 4 दिन मे बिना मौका जांच कराये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मे प्रस्तावित रास्तो की भूमि पर खातेदारान अपने संयुक्त परिवार के साथ अलग–अलग ढाणियां बनाकर निवास कर रहे है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे अपीलांटगण के रहवासीय ढाणियां प्रभावित हो रही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार के समक्ष किसके द्वारा रास्तो के लिए आवेदन किया, आवेदक कौन है, किसको तकलीफ थी इस बारे मे प्रस्ताव मे कोई उल्लेख नही किया है जबकि ग्राम मोखाब के खसरा नंबर 339 मे से 2.06 बीघा भूमि गै.मु.रास्ता के प्रस्ताव पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे सलंग्न नक्शा के बिन्दु संख्या ए व बी तक आम रास्ता खातेदारी व सरकारी भूमि मे चला आ रहा है तो जब सुगम रास्ता अन्य सभी पक्षकारान के लिए उपलब्ध था तो अपीलांटगण के खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि मे से रास्ता अपीलांटगण को परेशान करने के लिए राजनैतिक दुष्प्रेरणा एवं दुर्भावना से घोषित किया है, जो न्यायसंगत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांटगण को बिना सुने पारित किया हुआ होने से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नही होने से जानकारी होने पर उक्त अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है अतः उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए तहसीलदार ने राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्तो की समस्याओ के निराकरण अभियान के तहत मौके पर चल रहे कदीमी रास्तो के भूमि की किस्म बारानी से गै.मु.रास्ता घोषित कर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव को प्रेषित करने पर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उक्त निजी खातेदारी की भूमि मे से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा काश्तकार के खातेदारी मे गै0मु0रास्ते के रूप मे दर्ज रखने के जो आदेश पारित किये है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन आदेश दिनांक

1–1–2017 एवं तहसीलदार शिव से तलब की गई मौका रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया । तहसीलदार शिव की रिपोर्ट दिनांक 26–9–18 मे इस प्रकार उल्लेख किया गया है कि "आवागमन करने वाले काश्तकारो द्वारा बदल बदल कर चलने से मौके एवं रेकर्ड मे दर्ज रास्ते मे भिन्नता या विचलन पाया गया । रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे मे रेकर्ड मे दर्ज रास्ते को लाल स्याही से एवं मौके पर चल रहे रास्ते को काली स्याही स्केच पैन से रेखांकित की जाकर मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश कर कथन किया कि मौजा मोखाबकलां के खसरा नंबर 334, 335 एवं 416/331 मे वैकल्पिक एवं सुगम रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु अपीलकर्ताओ ने मौके पर अभ्यावेदन पेश किया एवं अपीलकर्ताओ के अनुसार गन्तव्य स्थल हेतु वैकल्पिक मार्ग कम दूरी का सुगम तथा सुलभ है ।"

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने निजी खातेदारो की खातेदारी की भूमि मे गै.मु.रास्ता दर्ज करवाने बाबत तहसीलदार शिव के जिस प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह प्रस्ताव पटवारी हल्का मौखाब द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर निरीक्षक भू अभिलेख के हस्ताक्षर नही है फिर भी तहसीलदार शिव ने उक्त प्रस्ताव को अपनी अनुशंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को अग्रेषित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार गै.मु.रास्ता दर्ज करने बाबत अपीलाधीन निर्णय बिना पक्षकारो को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये पारित किया जाना पत्रावली से प्रकट है । जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी निजी खातेदार के खातेदारी की भूमि मे से कोई रकबा यदि किसी भी रूप मे कम किया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना नितांत आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई प्रकिया अपनाये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा तैयार सभी खसरों की माढ पर रास्ता दर्शाया है जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रस्ताव से भिन्न खसरो को काटते हुए रास्ता चलना दर्शाया है । इसके अलावा यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान मे राज्य सरकार की मूल भावना यह थी कि किसी खातेदार की खातेदारी की भूमि मे से मौके पर कदीमी से रास्ते चल रहे है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे इन्द्राज नही किया हुआ है, तो उन्हे इस अभियान के तहत निर्धारित प्रकिया के तहत खातेदारान को सुनकर राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता के रूप मे दर्ज करने की थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन भूमि के खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णप पारित कर दिया , जो न्याय के

प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पटवारी हल्का मौखाब द्वारा गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के परिपेक्ष्य मे मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार करवाकर मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते का परीक्षण कर सभी खातेदारो पक्षकारान को नोटिस जारी कर, उनको सुनकर युक्तियुक्त निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 12–11–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

12/11/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर